

Concept of Inclusive Education :-
 (Inclusive Education)

जिसके द्वारा विशेष समता वाले बालकों जैसे मंदबुद्धि, अर्थ-प्रधान किताब पढाए जाते हैं। समावेशी शिक्षा वह होती है, जिसमें सामान्य बालकों के साथ मंदबुद्धि, अर्थ-प्रधान बालकों को भी पढ़ाया जाता है।

Meaning of Inclusive Education :-

यह है वह शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित है, जिसमें सामान्य बालकों एवं असाधारण बालकों को एक-दूसरे के सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य बालकों के साथ असाधारण बालकों को सम्मिलित करने का प्रयत्न है।

इस व्यवस्था में सभी प्रकार के असाधारण बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है।

Definition of Inclusive Education :-

प्रो. एस. के. कुर्वे के अनुसार :-

“ समावेशी शिक्षा का आशय वह शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य तथा असाधारण बालकों को एक साथ पढ़ाया जाये और इस उच्च अधिगम स्तर से सम्बन्धित शिक्षाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा अनुकूल, अभिजात, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय-सहायोग प्राप्त किया जाता है। ”

श्रीमती राजकुमारी शर्मा के शब्दों में :-

“ समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्य बालकों के साथ असाधारण बालकों को एक साथ पढ़ाया जाना है। यह शिक्षा उन्हें अनुकूल वातावरण प्रदान करके सर्वांगीण विकास को और प्रेरित करती है। ”

विश्वीय शिक्षा के अनुसार :-

“ समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक अधिगम के नये आयाम को दर्शाती है। ”

समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ (Characteristics of Inclusive Education)

(i) सभी के लिए शिक्षा (Education for all)
समावेशी शिक्षा के दर्शन के अनुसार शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षा (15-35 वर्षों के मध्यम (18-35 वर्ष) व उच्च शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(ii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था (Qualitative education system).
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा के दर्शन का प्रमुख आधार है। प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रभावी शिक्षण अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षण प्रक्रियाओं को विकसित करने वाली पाठ्यक्रम संशोधन प्रक्रियाएँ एवं नैतिक सुविधाएँ होनी चाहिए।

(iii) साथी समूह के साथ विद्यालय में नामांकन (Enrollment in school with peer groups):-

साथी समूह के साथ शिक्षा प्राप्त करने का प्रत्येक बालक एवं बालिका को होता है। इसके लिए शासक-प्रशासन नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। विशेष रूप से अल्प आय वर्ग एवं मध्यम वर्ग के बालक एवं बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा।

(iv) सहभागिता आधारित दर्शन (participation of self respect)

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31									

Characteristics of Inclusive Education :-

समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं :-

1) यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एवं सामाजिक वातावरण तथा संस्कृति बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक है। समाज में एक-दूसरे के मध्य दूरी अथवा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करती है।

2) इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया जाता है जिसमें अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हैं तथा वे समाज में अन्य लोगों की गति-कामगिरी होकर अपना जीवनयापन कर सकें।

3) समावेशी शिक्षा एक सही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किये गये कुशलमुक्त प्रयास हैं।

4) समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें अक्षरगत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ-साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को प्रथमिकीकरण के विशेषी व्यावहारिक समाधान है।

5) समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा ही विशिष्ट शिक्षा का प्रेरक है।

6) यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अक्षरगत शारीरिक रूप से बाधित बालक व सामान्य बालकों के समान आवश्यक समझी जाती हैं।

Objectives of Inclusive Education :-
समावेशी शिक्षा के उद्देश्य :-

- (i) शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों की शिक्षा समस्याओं की जानकारी प्रदान करना।
- (ii) शारीरिक दौषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना।
- (iii) शारीरिक दौष की दृष्टा को बचाने से पहले कि वे गम्भीर स्थिति को प्राप्त हों, उनके रोकथाम के लिये सर्वप्रथम उपायक्रिया जानू। बालकों के सीखने की समस्याओं की ध्यान में उपयुक्त हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना।
- (iv) शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों को पूर्णतः समाप्त जाना।
- (v) बालकों की आवश्यकताओं का पता लगाकर उनके दूर करने का प्रयास करना।
- (vi) शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों की शिक्षा समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु समूहिक संघर्षण की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करना।

APRIL

Concept of special education :-

विशेष शिक्षा का आशय इस शिक्षा व्यवस्था से होता है जो कि कोश विधीय की इसकी शारीरिक अपामान्यता के अनुरूप प्रदान की जाती है।

विशेष बालक वह होती है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में कोश से विन्य होती है।

Dr. J. Hunt के अनुसार :-

विशेष बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से अलग प्रकार हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है।

साधारण शैली में विशेष शिक्षा से अभिप्राय इस शिक्षा से है जो विशेष बालकों को दी जाती है जिनमें जो प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों को दी जाती है।

Definition of special education :-

Prof. S.K. Dubey के अनुसार :-

विशेष शिक्षा का आशय इस शिक्षा से है, जो सामान्य स्तर के बच्चों से अल्पिक या कम मानसिक एवं शारीरिक स्तर के बच्चों को प्रदान की जाती है।

श्रीमती R.K. Sharma के अनुसार :-

विशेष शिक्षा उन सभी बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा है, जो निर्यक्त वातावरण में उचित कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों प्रतिभाशाली एवं शारीरिक रूप से अक्षम दोनों रूप में हो सकते हैं। 2017

Own mind के आधार पर -

विशेष शिक्षा विशेष एक सेवा के लोगों के लिए नहीं होती बरन् एवं उन सभी लोगों के लिए होती है, इनकी उमर आवश्यकता होती है।

Characteristics of special Education:-

(i) विशेष शिक्षा उन लोगों के लिए होती है, जो कि एक निश्चित शैक्षिक या 1927 में सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं।

(ii) विशेष शिक्षा की संख्या में लोगों की योजना एवं मानसिक स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(iii) विशेष शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं विधियाँ सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं विधियाँ से भिन्न होता है।

(iv) विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली एवं शारीरिक क्षमता से युक्त लोगों के लिए होती है।

(v) विशेष शिक्षा/साधारण शिक्षा का एक रूपान्तर है।

(vi) विशेष शिक्षा योजनावद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है।

विशेष शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Special Education)

(i) प्राथमिक विद्यालयों द्वारा लोगों की विशेषता की पहचान करना तथा उनके अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना।

- (ii) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम एवं विशेष शिक्षण विधियों को लागू करना, जिससे बच्चों का अधिग्रहण सरल रूप से हो सके।
- (iii) सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिग्रहण बनाकर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना।
- (iv) विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के सहायक क्रियाओं का संयोजन करके बच्चों का बहुमुखी विकास पर ध्यान देना।
- (v) शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को आरक्षण प्रदान कर सुविधा देना जिससे की मुख्य शिक्षा प्राप्त की जा सके।
- (vi) सरकार द्वारा विभिन्न बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रकल्प (Research programme) को सुविधा देना जिससे की नवीन ज्ञान की खोज कर सके और विधियों का प्रयोग कर सके।
- (vii) विशेष शिक्षा के अलावा बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना (वेग-यादें)